

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 170]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अप्रैल 2014—चैत्र 14, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2014

क्र. एफ ए 3-28-2010-1-पांच (14).—मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-28-2011-1-पांच(5), दिनांक 15 फरवरी 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अंक तथा शब्द “31 मार्च, 2014” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “31 मार्च, 2015” स्थापित किए जाएं.

No. F-A-3-28-2010-1-V (14).—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhinyam, 1995 (No 16 of 1995), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. F-A-3-28-2011-1-V(5) dated 15th February 2011, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, for the figures and word "31st March, 2014", the Figures and word "31st March, 2015" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2014

क्र. एफ ए 3-11-2013-1-पांच (15).—मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-5-01-2012-1-पांच(37), दिनांक 19 अक्टूबर 2012 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अंक तथा शब्द "31 मार्च, 2014" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "31 मार्च, 2015" स्थापित किए जाएं.

No. F-A-3-11-2013-1-V (15).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Adhinyam, 2011 (No. 11 of 2011), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. F-A-5-01-2012-1-V(37) dated 19th October, 2012, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, figures and word "31st March, 2014", the figures and word "31st March, 2015" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.